फर्दअहकाम
नियम (26)

अज अदालत........उपखण्ड अधिकारी........मुकाम........किस्म मु
........बजरंगलाल........बनाम........सरकार........
........मिसल न0........112/2025........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व अहकामजो तामील में
10/11/25	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी बजरंगलाल पुत्र सीताराम ने प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम प्रार्थी बजरंगलाल पुत्र छीतरलाल नि0 देवपुरा नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2073 से 76 मुताबिक खाता सख्या 63 खसरा नबर 44,44/1 में काश्तगार का नाम बजरंगलाल पुत्र छीतरलाल दर्ज है। जिसकी शुद्वि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संम्बधित पटवारी भू.अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम बजरंगलाल पुत्र छीतरलाल के स्थान पर बजरंगलाल पुत्र सीताराम दर्ज किया जावे। आज दिनाक 10/11/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।	